न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 18/2020
(जीसीएमएस संख्या 2020/00223)

निर्णय दिनांकः 21-4-22

1. भंवरीदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी मौहल्ला चौतीना कुआँ, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आम. गजेन्द्र भाटी पुत्र नन्दकिशोर जाति माली निवासी रामदेवी मन्दिर के पास, चौतीना कुआँ, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
दिनांक 27—02—2020

उपस्थितः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—02—20120 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के वाके ग्राम मढ़ के खेत खसरा नम्बर 595 तादादी 1048 हेक्टर भूमि अपीलांट की खातेदारी की है। जिस पर अपीलांट् द्वारा निरन्तर कृषि कार्य किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन है कि इस भूमि पर कभी भी अवैध रूप से ईंट भट्टा स्थापित नहीं किये जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया। उक्त दावे में स्टेट द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि था कि ग्राम मढ़ के खसरा नम्बर 595 रकबा 0.25 हेक्टर भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण वादपत्र स्वीकार किया जाकर तादादी 0.25 हेक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त वादपत्र संबंधित तहसीलदार द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20–04–2018 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। उक्त रिपोर्ट पटवारी में में अभिलिखित किया गया था कि राजस्व रिकार्डनुसार भंवरी देवी पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी सुजानदेसर खतेदार दर्जशुदा है तथा पूछताछ करने पर उक्त भट्टा संचालित बताया गया। वर्तमान में भट्टा बन्द है तथा भट्टा लगभग 2010–11 से बन्द है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट् के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट् को सुजानदेसर का निवासी बताया है जबकि वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में अपीलांट् को मौहल्ला चौतीना कुआँ, बीकानेर का निवासी बताया गया है। जब अदालत मातहत के समक्ष जमाबन्दी के अनुसार अपीलांट् चौतीना कुआँ बीकानेर का निवासी बताया गया है तो अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को सुजानदेसर बीकानेर के नोटिस जारी किया जाना अपने आप में इस तथ्य को साबित करता है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट की खातेदारी भूमि को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में ईंट भट्टा संचालित होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। मौका रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि ईंट भट्टा कौनसे किले में किया गया है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

उन्होनें आगे न्यायालय का ध्यान अदालत मातहत की आदेशिओं की और आकर्षि करवाते हुए कथन किया कि वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली जवाब हेतु निर्धारित चल रही थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलांट् को गलत पते पर तामील प्रेषित की जा रही है तथा बिना जवाब प्राप्त किये एकतरफा तौर पर जवाब बन्द करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से कानूनी प्रकिया की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में जब पटवारी रिपोर्ट में भी अभिलिखित किया गया है कि अवैध ईंट भट्टा पूर्व में होना पाया गया परन्तु वर्तमान में उक्त रकबे पर ईंट भट्टा संचालित होना नहीं पाये जाने का कथन किया गया है। इससे साबित है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि अवैध ईंट भट्टा संचालन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि ग्राम मढ़ के खसरा नम्बर 595 रकबा 0.25 हेक्टर भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण वादपत्र स्वीकार किया जाकर तादादी 0.25 हेक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा 0.25 हेक्टर भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान करने के स्थान पर सम्पूर्ण भूमि अर्थात 1.48 हेक्टर भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मनमाने तरीके से व विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट् की अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2010 एससी पेज 2211 व एआईआर 2019 पेज 542 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात ईंट भट्टे का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आबंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य ईंट भट्टे का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में भंवरीदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी सुजानेदसर खातेदार बताया गया है, जबकि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2072–2075 के अनुसार अपीलांट को निवासी मौहल्ला चौतीना कुऑ बीकानेर होना साबित है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलांट को सुजानदेसर का निवासी बताते हुए नोटिस जारी किया जाना अपने आप में अदालत मातहत के कृत्य का संदेह के घेरे में लाता है।

(3) प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत में अभिलिखित किया गया कि वह मौके पर पहुॅचा तथा मौके पर उक्त रकबे पर अवैध ईंट भट्टा पूर्व में होना पाया गया परन्तु वर्तमान में उक्त रकबे पर अवैध ईंट भट्टे का संचालन का कार्य नहीं हो रहा है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर क्या वास्तव में ईंट भट्टे का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौके पर वास्तव में ईंट भट्टे का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसका भी उल्लेख पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी/आईएलआर के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी तैयार किया जाना साबित है।

(4) यहा यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पालना में मौके पर पहुॅचा। इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर अवैध ईंट भट्टे के संचालन किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य ईंट भट्टा किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। इन सभी से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपने दायित्यों का भलींभांति निर्वहन नहीं किया गया है।

(5) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया था कि रोही ग्राम मढ़ के खेत खसरा नम्बर 595 रकबा 0.25 हेक्टर भूमि पर अवैध ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है जिसे राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यू किया जावे। इस प्रकार प्रस्तुत वादपत्र में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त भूमि 1.48 हेक्टर भूमि में से 0.25 हेक्टर भूमि जिस पर अवैध ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा है को ही राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने की मांग संबंधित तहसीलदार द्वारा किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के धारण की सम्पूर्ण भूमि अर्थात 0.25 हेक्टर भूमि की एवज में 1.48 हेक्टर भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में मांग से अधिक भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से किये जाने स्पष्ट रूप से परिलिक्षत होता है।

(6) उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध ईंट भट्टा कब संचालित हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(7) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ही वादगत् भूमि पर ईंट भट्टा संचालन का कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि पटवारी रिपोर्ट स्वमेव में यह अंकित है कि अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि पर अवैद्य ईंट भट्टा का कार्य पूर्व में किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में अवैध ईंट भट्टा का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिना वाद प्रकिया को अपनाये ही अपीलांट के धारण की भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाना किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 27–02–2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का पुनः निस्तारण करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21/4/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/4/22

(समरस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर